Northern Coalfields Limited

A Miniratna Company, An undertaking of Government of India
Head office: Panjreh Bhawan, Morwa , Singrauli-486889,M.P.,India

क्रमांक: एनसीएल/सिंग/कावि/भर्ती/2019-20/109 दिनांक: 25/01/2020

रोज़गार अधिसूचना (पेरामेडिकल स्टाफ)

एनसीएल ऐसे भारतीय नागरिकों से जो कि पैरामेडिकल संवर्ग में पदों के लिए अधिसूचित न्यूनतम एवं आवश्यक योग्यता रखते हो, से प्रशिक्षु पद में सीधी भर्ती द्वारा स्थायी नियुक्ति के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित करती है । सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किये गये अभ्यर्थी आवश्यकता अनुरूप संसथान के 3 अस्पतालो एवं 10 औषधालयों, जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एवं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित हैं, मे कही भी नियुक्त किये जा सकते है ।

1. पद/ न्यूनतम योग्यता/ रिक्तियां:

विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यताओं एवं विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियां तालिका (क) में दी गयी हैं ।

तालिका (क): तालिका में वर्णित पद, न्यूनतम अर्हताएं योग्यता एवं रिक्तियां ।

क्र० . सं.	पद नाम	न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं	पदानुरूप उपयुक्त पीडब्लूबीडी(दिव्याङ्गता) श्रेणी	कुल रिक्तियां							
				अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर	कुल	पीडब्लूबीडी	पूर्व सैनिक
				ऊर्ध्वाधर आरक्षण						क्षैतिज आरक्षण	
1	स्टाफ नर्स (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-सी	(क) 10+2 उत्तीर्ण (ख) **'A'** ग्रेड नर्सिंग डिप्लोमा / सर्टिफिकेट (त्रिवर्षीय कोर्स)) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा (ग) राज्य नर्सिंग कौंसिल द्वारा प्रदत्त मान्य रजिस्ट्रेशन	**OL**	**7**	**1**	**2**	**2**	**2**	***14***	**1**	**-**
2	फार्मासिस्ट (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-सी	(क) 10+2 विज्ञानं वर्ग में उत्तीर्ण (ख) फार्मेसी में डिप्लोमा जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदत्त हो (ग) फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत फार्मेसी कौंसिल द्वारा प्रदत्त मान्य रजिस्ट्रेशन	**OL,BL**	**3**	**0**	**1**	**1**	**1**	***6***	**-**	**-**
3	तकनीशियन (पैथोलॉजिकल) (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-सी	(क) पैथोलॉजी में डिप्लोमा जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदत्त हो	**OL,BL ,HH**	**5**	**1**	**1**	**2**	**1**	***10***	**1**	**1**
4	तकनीशियन	(क) रेडियोग्राफी में डिप्लोमा जो सरकार	**OL, HH**	**4**	**0**	**1**	**1**	**1**	***7***	**-**	**1**

	(रेडियोग्राफर) (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-सी	द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदत्त हो									
5	फिजियोथेरेपिस्ट (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-सी	(क) फिजियोथेरैपी में डिप्लोमा जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदत्त हो (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)	**OL,B,LV**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	***1***	**-**	**-**
6	तकनीशियन (आहार विशेषज्ञ) (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-सी	**(क)** आहार विशेषज्ञ में डिप्लोमा जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदत्त हो	**OA,OL,BL,HH**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	***1***	**-**	**-**
7	जूनियर तकनीशियन (ईसीजी) (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-डी	**(क)** 10+2 / इंटरमीडिएट **(ख)** ईसीजी तकनीशियन के रूप में कार्डियोलॉजिस्ट/ फिजिशियन के साथ कार्य का दो साल का अनुभव प्रमाण पत्र जो अस्पताल / नर्सिंग होम जिसमे कि ईसीजी सुविधा उपलब्ध हो जारी किया गया हो	**OA, OL, OAL, BL,HH**	**5**	**0**	**1**	**1**	**0**	***7***	**-**	**-**
8	जूनियर तकनीशियन (ईईजी) (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-डी	**(क)** 10+2 / इंटरमीडिएट **(ख)** ईईजी तकनीशियन के रूप में न्यूरो-फिजिशियन/ फिजिशियन के साथ कार्य का दो साल का अनुभव प्रमाण पत्र जो अस्पताल / नर्सिंग होम जिसमे कि ईईजी सुविधा उपलब्ध हो जारी किया गया हो	**OA, OL, OAL, BL,HH**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	***1***	**-**	**-**
9	तकनीशियन (दंत) (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-डी	**(क)** 10+2 / इंटरमीडिएट **(ख)** दंत चिकित्सा में डिप्लोमा जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदत्त हो	**OL,HH**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**-**	**-**
10	ऑडियोमेट्री तकनीशियन (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-डी	**(क)** 10+2 / इंटरमीडिएट (ख) ऑडियोमेट्री में डिप्लोमा जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदत्त हो	**-**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**-**	**-**

विशेष नोट:-

i. ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 10/03/2020 है और इसे इस रोजगार अधिसूचना में **महत्वपूर्ण तिथि(Crucial date)** के रूप में संदर्भित किया गया है। इस अधिसूचना में तालिका 'ए' में दर्शाए गए समस्त पदों के संबंध में अभ्यर्थियों की समस्त वांछित योग्यताए एवं अर्हयताए (श्रेणीवार रियायत एवं छूट को लेते हुए) दिनांक 10/03/2020(महत्वपूर्ण तिथि-Crucial date) को या उसके पूर्व पूर्ण होने पर ही अभ्यर्थी संबन्धित पद हेतु पात्र होंगे।

ii. सेना में पूर्णकालिक सेवाए प्रदान कर चुके तकनीशियन पैरा मेडिकल स्टाफ जो मैट्रिक हैं और सेवानिवृत्ति से पूर्व न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि मे संबन्धित संवर्ग मे सेवाए प्रदान कर चुके हैं, उन्हें तकनीकी एवं सुपरवाइज़री ग्रेड सी' में

तकनीशियन (तकनीशियन पैथोलॉजिकल/ तकनीशियन रेडियोग्राफर) के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हयता पूर्ण किया हुआ माना जाएगा ।

iii. निर्धारित आवश्यक योग्यता न्यूनतम हैं, अतः उच्च और प्रासंगिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।

iv. दूरस्थ शिक्षा/ अंशकालिक या समकक्ष माध्यम से प्राप्त न्यूनतम योग्यताओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

v. एक अभ्यर्थी केवल एक पद मे ही आवेदन करेंगे।

vi. विशिष्ट पदो हेतु निर्दिष्ट कार्य अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों (आवेदको) को मूल दस्तावेजों के सत्यापन/ संवीक्षा के समय निम्न सम्बंधित अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ।

I) वेतन पर्ची

II) संबंधित वर्षों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) और फॉर्म 16

vii. रिक्तियों की कुल संख्या और आरक्षित रिक्तियां अनंतिम हैं और वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण, परिणामों को अंतिम रूप देने के समय, आरक्षण के संबंध मे भारत सरकार के तात्कालिक मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा।

viii. ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी(एनसीएल)/पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम के लिए उपलब्ध आरक्षण/ रियायत लाभ की मांग करने वाले सभी अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियमों/ नोटिस में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/ छूट के हकदार हैं । उन्हें नियम/ नोटिस में निर्धारित अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना होगा । **आरक्षण/ रियायत लाभों का दावा करने के लिए लागू/ उपयुक्त निर्धारित प्रारूप इस रोजगार अधिसूचना के अंत मे संलग्न किए गए है, अभ्यर्थी दावे हेतु इन्ही प्ररूपों मे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे।**

2. पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों का ब्यौरा निम्न्वत्त है:-

तालिका (ख): पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए निर्धारित पदों की संख्या

क्र०	विज्ञापित पद का नाम	पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी में रिक्तियां	पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिक्तियां निर्धारित	पद के लिए उपयुक्त पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियां
1	स्टाफ नर्स (प्रशिक्षु)टी एंड एस ग्रेड-सी	1	'लोकोमोटर विकलांगता'	OL
2	तकनीशियन(पैथोलॉजिकल) (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-सी	1	'लोकोमोटर विकलांगता' एवं 'श्रवण अक्षमता'	OL, BL, HH

OL = वन लेग, BL = बोथ लेग , HH = हार्ड ऑफ हियरिंग , OA = वन आर्म , OAL = वन आर्म & वन लेग , B = ब्लाईंड , LV = लो विजन , PWBD = पर्सन विथ बेंचमार्क डिसबिलिटी

3. प्रशिक्षण अवधि एवं पदों के लिए वेतनमान तालिका 'ग' में दिया गया है:

तालिका (ग): विभिन्न पदों के लिए प्रशिक्षण एवं वेतनमान की अवधि दर्शाने वाली तालिका।

क्र०	प्रवेश स्तर के पद	प्रवेश स्तर ग्रेड और वेतनमान (जेबीसीसीआई - X के अनुसार)	प्रशिक्षण अवधि	सफल प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवारों का ग्रेड
1	स्टाफ नर्स (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-सी	टी एंड एस ग्रेड - सी का न्यूनतम वेतनमान रु०	एक वर्ष	एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण किए जाने एवं इस आशय की संस्तुति के उपरांत अभ्यर्थियों का उनके सम्बंधित कैडर

2	फार्मासिस्ट (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-सी	31852.56 (मासिक वेतन भोगी)		के 'तकनीकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड - सी' में नियमितीकरण किया जायेगा ।
3	तकनीशियन (पैथोलॉजिकल) (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-सी			
4	तकनीशियन (रेडियोग्राफर) (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-सी			
5	फिजियोथेरेपिस्ट (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-सी			
6	तकनीशियन (आहार विशेषज्ञ) (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-सी			
7	जूनियर तकनीशियन (ईसीजी) (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-डी	टी एंड एस ग्रेड - डी का न्यूनतम वेतनमान रु० 29460.30 (मासिक वेतन भोगी)	तीन वर्ष	तीन वर्ष की प्रशिक्षण अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण किए जाने एवं इस आशय की संस्तुति एवं संबन्धित ट्रेड टेस्ट उपरांत अभ्यर्थियों का उनके सम्बंधित कैडर के 'तकनीकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड - सी' में नियमितीकरण किया जायेगा ।
8	जूनियर तकनीशियन (ईईजी) (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-डी			
9	तकनीशियन (दंत चिकित्सा) (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-डी			
10	ऑडियोमेट्री तकनीशियन (प्रशिक्षु) टी एंड एस ग्रेड-डी			

उपरोक्त मूल वेतन के अलावा वेतन समझौते के प्रावधानों के अनुसार अन्य भत्ते जैसे डीए, उपस्थिति बोनस, विशेष भत्ता, एचआरए, परिवहन सब्सिडी आदि भी स्वीकार्य हैं।

4. **आरक्षण**:

i. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) केन्द्रीय सूची / ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) / पीडब्ल्यूबीडी / ईएसएम (भूतपूर्व सैनिक) श्रेणियों हेतु आरक्षण भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त नियमो, दिशा-निर्देशो, अधिसूचनाओ और इन मे समय-समय पर होने वाले संशोधनो के अनुरूप लागू होगा ।

ii. ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित श्रेणियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आरक्षित श्रेणियों के लिए लागू अन्य रियायतें चाहते हैं, उन्हें इस तरह के आरक्षण का लाभ उठाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप मे जारी अपेक्षित(संलग्नक अनुसार) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे ।

iii. ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल - केन्द्रीय सूची) हेतु लागू आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहते हैं उनको यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास जाति प्रमाणपत्र (केवल केन्द्रीय सूची के लिए लागू) हो और वह महत्वपूर्ण तिथि पर क्रीमी लेयर वर्ग में न आता हो ।

iv. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) केंद्र सूची हेतु लागू आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप मे प्रस्तुत करना होगा, जिसमे स्पष्ट रूप से अभ्यर्थी का नाम, संबन्धित अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति विशेष अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति

/ अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) केंद्र सूची के अंतरगर्त आती है एवं गांव / कस्बा जिसमे अभ्यर्थी मूल रूप से निवासरत हैं, का उल्लेख हो। केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित जाति/ समुदायों की सूची में शामिल जाति विशेष से संबन्धित अभ्यर्थी ही जाति/ समुदाय के आरक्षण का लाभ पाने का पात्र होगा।

v. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) केंद्र सूची, ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) अभ्यर्थी, जो किसी मानक रियायत का लाभ लिए बिना अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होंगे उन्हें आरक्षित श्रेणियों हेतु आरक्षित पदो के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जायेगा । ऐसे उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के लिए अनारक्षित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा । आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) केंद्र सूची और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) अभ्यर्थियों द्वारा अलग से भरी जायेगी ।

vi. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) - केंद्र सूची एवं ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थी, जो मानक रियायतों जैसे कि आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक (कट-आफ मार्क्स)इत्यादि के आधार पर उत्तीर्ण होते है, ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुरूप अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित नही किया जायेगा अपितु आरक्षित श्रेणी के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।

vii. ऐसे पूर्व सैनिक जो उनकी पुनः भर्ती हेतु पहले ही पूर्व सैनिको के लिए लागू आरक्षण का लाभ लेकर सिविल क्षेत्र मे समूह - सी एवं डी के पदों मे नियमित सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके है, वे पूर्व सैनिको के लिए लागू आरक्षण और शुल्क रियायत के पात्र नही होंगे । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ज्ञापन क्रमांक 36034/1/2014- Estt. (Res) दिनांकित 14/08/2014 के अनुसार पूर्व सैनिक सिविल रोजगार प्राप्त करने के तुरंत बाद, यदि संबन्धित नियोक्ता को स्व-घोषणा/ अंडरटेकिंग के माध्यम से उनके द्वारा सिविल रोजगार प्राप्त करने के पूर्व मे विभिन्न रिक्तियों हेतु किये गये आवेदनो का तिथि वार विवरण प्रदान करता है, तो वो आगामी रोजगार हेतु पूर्व सैनिक के रूप मे आरक्षण का लाभ ले सकता है।

viii. पीडब्ल्यूबीडी अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण दिया जायेगा ।

ix. विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी एवं न्यूनतम विकलांगता आरक्षण के लिये : -केवल ऐसे व्यक्ति पदों में शर्तों/ आरक्षण में छूट के लिए पात्र होंगे जिनकी प्रासंगिक विकलांगता 40% होगी । जिन व्यक्तियों ने छूट / आरक्षण का लाभ उठाया है और दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किये जाते हैं, तो उन्हें जन-विकलांगता अधिकारों के अध्याय 7 के तहत नियम 18 (1) के प्रपत्र V, VI, VII के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 (निरसन के बाद से) के तहत जारी किये गये विकलांगता प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए मान्य रहेंगे।

5. आयु सीमा:

i. अभ्यर्थियों की महत्वपूर्ण तिथि(Crucial date-10/03/2020)) पर आयु न्यूनतम 18 वर्ष या अधिक एवं अधिकतम 30 वर्ष या कम होनी चाहिये । आयु सीमा में विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियो को अधिकतम 30 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में रियायत(वर्ष मे) इस प्रकार है:

तालिका (घ): विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु छूट सीमा

क्र० स.	श्रेणी	अधिकतम आयु छूट ऊपरी आयु सीमा से परे (महत्वपूर्ण तारीख 10/03/2020 को)
1	अनारक्षित/ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	कोई छूट नहीं
2	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	5 साल

3	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) केंद्रीय(central list) सूची	3 साल
4	पीडब्लूबीडी (अनारक्षित)	10 साल
5	पीडब्लूबीडी अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) केंद्रीय(central list) सूची	13 साल
6	पीडब्लूबीडी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	15 साल
7	पूर्व सैनिक (ईएसएम्)	रक्षा सेवाओं में प्रदान की गई सेवा की वास्तविक अवधि +3 वर्ष (अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन जाती के भूतपूर्व सैन्य कर्मियों हेतु 8 वर्ष) किसी भी परिस्थित मे भूतपूर्व सैन्य कर्मियों की वास्तविक आयु 50 वर्ष के अधिक नहीं होनी चाहिए (आयु में छूट भूतपूर्व सैन्यकर्मियों की पुत्रों , पुत्रियों और आश्रितों के लिए स्वीकार्य नहीं है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी को पूर्व सैनिक के रूप में अंकित नहीं करना चाहिए।)
8	विभागीय कर्मचारी (कोल इंडिया एवं उसकी अनुषंगी कम्पनियों के समस्त कर्मचारी)	कोई सीमा नहीं

ii. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कि अपने आवेदन मे अपनी जन्मतिथि मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र/ अंकपत्र जो कि केंद्रीय / राज्य बोर्ड द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के अनुरूप ही अंकित करे ।

6. परीक्षा शुल्क:-

अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा:

तालिका (ङ): परीक्षा शुल्क दर्शाती तालिका

अनारक्षित/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	रु० 500
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पीडब्लूबीडी/ पूर्व सैनिक/ विभागीय कर्मचारी	कोई शुल्क नहीं

नोट 1: निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन विचारणीय नही होगा और अस्वीकृत कर दिया जायेगा । इस तरह की अस्वीकृति के विरुद्ध कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

नोट 2: एक बार भुगतान किया गया शुल्क न तो वापस किया जायेगा और न ही किसी भी परिस्थिति में समायोजित किया जायेगा ।

नोट 3: निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त कोई भी कर या बैंक शुल्क उम्मीदवारों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा ।

7. प्रतिपूरक समय एवं प्रलिपिक की सहायता के प्रावधान:

मंददृष्टि अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी जिनकी लेखन गति मस्तिष्क पश्चाघात/ मांसपेशीय दुर्विकास से प्रभावित है/ गति विषयक दिव्यांगता (एक हाथ)/ बौद्धिक अक्षमता (ऑटिज्म, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रुंगड़ता) से प्रभावित होती है, तो अपनी और से उत्तर लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता ले सकते हैं । प्रलिपिक की सहायता लेने के लिए, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय इसे दर्शाना होगा । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय द्वारा "बेंचमार्क निःशक्तता

वाले व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा संचालित करने हेतु दिशा निर्देश" के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञापन सं० एफ. सं. 34-02/2015-डीडी-II दिनांकित 29.08.2018 के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा को शासित किया जायेगा।

8. कदाचार के दोषी पाये गये अभ्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:

(क) .लिखित परीक्षा के समय यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का उपयोग करने या छलवेषण या दुर्व्यवहार करने का दोषी पाया जाता है या चयन के लिए अपनी अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में किसी अन्य अनुचित साधनों का सहारा लेना या किसी तरीके द्वारा अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करता है तो, ऐसा अभ्यर्थी आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा और एनसीएल की किसी भी आगामी परीक्षा या चयन मे सम्मिलित होने से हमेशा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

(ख) .यदि यह पता लग जाता है कि नियुक्ति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में या किसी भी दस्तावेज़ में/ उसकी योग्यता, श्रेणी/ जाति और अनुभव के सम्बन्ध में कोई गलत जानकारी/ विवरण प्रस्तुत किया है या आवेदन पत्र में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को विलोपित किया है / बहुअर्थी रूप से प्रस्तुत किया है, तो उसकी सेवा परिवीक्षा/ प्रशिक्षण अवधि के दौरान या कम्पनी में सेवा के नियमितीकरण होने के उपरान्त भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी ।

(ग) .किसी भी रूप उपार्थना को अयोग्यता माना जायेगा ।

9. चयन प्रक्रिया:

I. इस अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर आयु और न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक होगा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के तुलनात्मक प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जायेगा ।

II. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र मे उनके पात्रता के संबंध मे उल्लेखित घोषणा के आधार पर लिखित परीक्षा मे शामिल होने दिया जायेगा। आवेदित पद हेतु अभ्यर्थी की पात्रता के समर्थन मे उनके दावों की जांच / सत्यापन, लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद केवल उन अभ्यर्थियों के लिए किया जायेगा, जो निर्धारित कट-ऑफ मार्क्स (न्यूनतम योग्यता अंक) के अनुसार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे।

III. प्रत्येक पद के लिए अलग से लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा दो हिस्सों में (भाग क - 70 अंकों के लिए एवं भाग ख - 30 अंकों के लिए), 90 मिनट की अवधि के लिए, 100 अंकों की होगी ।

IV. लिखित परीक्षा में उत्तर के चार विकल्पों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। लिखित परीक्षा के प्रारंभ में प्रश्न पुस्तिका (हिंदी / अंग्रेजी में) एक अलग ओएमआर शीट के साथ प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए निर्देश (द्विभाषी) प्रश्न पुस्तिका के साथ ही ओएमआर शीट पर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में संबंधित तकनीकी डोमेन, सामान्य बुद्धिमत्ता, मानसिक क्षमता आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम एनसीएल वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जायेगा ।

V. लिखित परीक्षा जिला सिंगरौली, एम.पी. एवं जिला सोनभद्र, यू.पी. के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जायेगी । अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय परीक्षा केंद्रों के लिए वरीयता क्रम प्रदान कर सकते हैं। आवेदकों की संख्या के आधार पर, प्रबंधन अन्य आसन्न शहरों में लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकता है। हालाँकि, प्रबंधन अपने विवेक पर किसी भी केंद्र को रद्द / आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अभ्यर्थी किसी भी केंद्र को उनके द्वारा चुने गए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते।

VI. मेरिट पैनल में अभ्यर्थियों का चयन संबंधित श्रेणी के लिए लिखित परीक्षा में कट-ऑफ अंक (न्यूनतम योग्यता अंक-निम्नानुसार) अर्जित करने के उपरांत किया जायेगा ।

तालिका (च): मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कट-ऑफ

पद नाम	लिखित परीक्षा हेतु अधिकतम अंक	श्रेणी	न्यूनतम कट ऑफ
समस्त पैरामेडिकल पद	100	अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	50 अंक
		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर), पीडब्लूबीडी	40 अंक

VII. लिखित परीक्षा के सफल समापन के बाद लिखित परीक्षा का परिणाम एनसीएल वेबसाइट पर जल्द से जल्द प्रकाशित किया जायेगा ।

VIII. विभिन्न पदों के संबंध में एनसीएल की वेबसाइट पर, प्राप्तांक कट-ऑफ अंक और उससे ऊपर और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों के अंतिम मेरिट पैनल टाई रूल लगाने के बाद प्रकाशित किए जायेंगे ।

IX. ऐसे अभ्यर्थी जो कट ऑफ के बराबर या उससे ऊपर स्कोर करेंगे (न्यूनतम योग्यता अंक तालिका "च" में दिए गए हैं) केवल उन्ही संबंधित अभ्यर्थियों को उनके मेरिट क्रम(आवश्यकता अनुरूप) में पद की रिक्तता पूर्ण न होने की सीमा तक उनकी परीक्षा का समर्थन करने वाले दस्तावेजों की जांच / सत्यापन के लिए उपस्थित होने के लिए अधिसूचित किया जायेगा । उम्मीदवारों को इस रोजगार अधिसूचना में जांच / सत्यापन के लिए अधिसूचित पात्रता मानदंड के अनुसार सभी मूल प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। जाँच / सत्यापन के लिए तिथि, समय और स्थान को एनसीएल की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जायेगा और अभ्यर्थियों को तदनुसार रिपोर्ट करना होगा। निर्धारित तय समय सारणी के अनुरूप तय समय के भीतर सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ रिपोर्ट करने से विफल रहने की स्थिति में, ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को रद्द माना जायेगा ।

X. **लिखित परीक्षा मे समान अंक अर्जित करने पर टाइ को हल करने और मेरिट बनाने के विषय मे लेख- ('जूनियर तकनीशियन ईसीजी प्रशिक्षु टी एंड एस ग्रेड डी'** एवं **'जूनियर तकनीशियन ईईजी प्रशिक्षु टी एंड एस ग्रेड डी'** ***के पद के अलावा अन्य पदों के लिए*)** 'उन मामलों में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में बराबर अंक हासिल करते हैं, टाई को एक के बाद एक निम्नलिखित तरीकों को लागू करके हल किया जायेगा: **(i)** अभ्यर्थी जो कि भाग "क" में (जैसा कि ऊपर क्लॉज 9 **(III)** में दिया गया है) ज्यादा स्कोर करेगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी, फिर **(ii)** पुराने उम्मीदवारों को (जन्म तिथि) को प्राथमिकता दी जाएगी, फिर **(iii)** अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जिसमें अभ्यर्थियों के नाम दिखाई देते हैं।

XI. **लिखित परीक्षा मे समान अंक अर्जित करने पर टाइ को हल करने और मेरिट बनाने के विषय मे लेख- ('जूनियर तकनीशियन ईसीजी प्रशिक्षु टी एंड एस ग्रेड डी'** एवं **'जूनियर तकनीशियन ईईजी प्रशिक्षु टी एंड एस ग्रेड डी'** ***के पद के लिए*)** 'उन मामलों में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में बराबर अंक हासिल करते हैं, टाई को एक के बाद एक निम्नलिखित तरीकों को लागू करके हल किया जायेगा (i) स्नातक की अर्हयता रखने वाले उम्मीदवार (निर्धारित 10 + 2 / इंटरमीडिएट / उच्चतर माध्यमिक से अधिक) को प्राथमिकता/वरीयता दी जाएगी (स्नातक से ऊपर की डिग्री टाई को हल करने के लिए नहीं मानी जायेगी), फिर (ii). अभ्यर्थी जो कि भाग "क" में (जैसा कि ऊपर क्लॉज 9 **(III)** में दिया गया है) ज्यादा स्कोर करेगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी, फिर **(iii)** पुराने उम्मीदवारों को (जन्म तिथि) को प्राथमिकता दी जाएगी, फिर **(iv)** अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जिसमें अभ्यर्थियों के नाम दिखाई देते हैं।

XII. प्रवधिक नियुक्ति पत्र सफल अभ्यर्थियों को उनकी तुलनात्मक योग्यता, उनकी पद हेतु पात्रता के अनुसार और विभिन्न संवर्गों हेतु आरक्षित श्रेणी के पदों के आरक्षण , अन्य प्रावधानों एवं रिक्तियों की उपलब्धता पर विचार करने के बाद जारी किया जायेगा ।

XIII. यदि यह जाँच / सत्यापन के दौरान, या प्रशिक्षण के दौरान, या यहां तक कि रोजगार के दौरान पाया जाता है, कि उम्मीदवार किसी भी संबंध में पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर रहा है, तो उसकी उम्मीदवारी / नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी ।

10. उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश:

i. **एक अभ्यर्थी (इस रोजगार अधिसूचना के अनुसार) केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकता है।**

ii. आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह रोजगार अधिसूचना में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों और अन्य मानदंडों को पूरा करता है।आवेदक अंतिम रूप से आवेदन जमा करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि वे आवेदन पत्र में दी गई जन्मतिथि ,संवर्ग श्रेणी, पत्राचार हेतु पता, विभिन्न योग्यताए एवं स्व घोषित बन्ध सही एवं उपयुक्त एवं अभ्यर्थी द्वारा धारित अभिलेखो एवं प्रमाण पात्रो के अनुरूप है।एक बार आवेदन को ऑनलाइन जमा किए जाने के बाद आवेदन पत्र मे कोई भी सुधार संभव नहीं होगा और इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

iii. उम्मीदवारों को इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदन पूर्व उनका चरित्र एवं पूर्ववृत्त अनुकूल है । यदि कोई आपराधिक मुकदमा किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष किसी आकांक्षी/ अभ्यर्थी के संबंध में लंबित है, तो उसे आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी अभ्यर्थी के संबंध मे किसी भी सक्षम न्यायालय में आपराधिक मामले की पेंडेंसी / विलंबन की स्तिथी में अभ्यर्थी को मेरिट मे स्थान के बाद भी चयनित/नियुक्त/भर्ती नहीं किया जाएगा ।

iv. पात्रता मानदंड, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, पद के लिए चयन का तरीका आदि के बारे में एनसीएल प्रबंधन का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। मात्र न्यूनतम योग्यता और नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करने पर अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा / दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाये ऐसा उनका अधिकार नहीं । अयोग्य पाए गये अभ्यर्थियों से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा और लिखित परीक्षा / दस्तावेजों के सत्यापन के लिए नहीं बुलाया जायेगा ।

v. किसी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड / कॉल लेटर जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी / उसकी उम्मीदवारी को एनसीएल द्वारा पुष्टि कर दी गई है। किसी भी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तब तक प्रावधिक रहेगी जब तक कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत बुलाये जाने पर उनके मूल दस्तावेजो की जांच कर यह सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है कि अभ्यर्थी समस्त अधिसूचित अर्हयताओ की प्रतिपूर्ति करता है। साथ ही साथ अभ्यर्थियो की उम्मीदवारी तब तक नियमित नहीं करी जाएगी जब तक अभ्यर्थी द्वारा अर्हयता सिद्ध करने हेतु प्रदत्त विभिन्न शैक्षणिक एवं संवर्ग हेतु प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों की सत्यापना उन्हे जारी करने वाले संस्थान/प्राधिकृत व्यक्ति से सकारात्मक प्राप्त नहीं हो जाती एवं अभ्यर्थी के पुरवृत्त के सकारात्मक होने की तसदीक संबन्धित जिले के, जहां का अभयर्थी मूल निवासी है ,जिलाधिकारी/कलेक्टर/मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त नहीं हो जाती ।

vi. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उस पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करें जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। यदि यह चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पाया जाता है या नियुक्ति के बाद भी उम्मीदवार ने झूठ या गलत जानकारी दी है या किसी प्रासंगिक जानकारी / सामग्री तथ्यों को दबाया है या पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी / सेवा उत्तरदायी है, सूचना के बिना, अस्वीकृति / समाप्ति के लिए ।

vii. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट, जैसा कि तालिका “क” में निर्धारित है, किसी भी अभ्यर्थी की श्रेणी के लिए अस्वीकार्य है ।

viii. जहां भी ग्रेड (सीजीपीए / ओजीपीए / डीजीपीए आदि) व्यवस्था लागू किया जाता है, संबंधित बोर्ड / विश्वविघालय द्वारा अपनाये गए मानदंडों के अनुसार आवेदन पत्र में अंकों के बराबर प्रतिशत का अंकित किया जाना अनिवार्य है । ग्रेड के प्रतिशत में रूपांतरण के लिए संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत जारी किया गया प्रमाण पत्र, मूल दस्तावेजों की जांच / सत्यापन के समय उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।

ix. अधिसूचना के तहत निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि पर आयु और अन्य सभी पात्रता मानदंड की पात्रता पूर्ण होनी चाहिए।

x. अभ्यर्थियों को ध्यान से ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनकी श्रेणी (सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पूर्व सैनिक / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूडी आदि) को भरना चाहिए। चयन प्रक्रिया के बाद के चरण में श्रेणी के किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

xi. भूतपूर्व सैनिकों को महत्वपूर्ण तिथि(**Crucial date)** या उससे पहले कार्यमुक्ति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

xii. सभी दस्तावेजों (जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, पीडब्लूबीडी प्रमाण पत्र, भारत के नर्सिंग परिषद में पंजीकरण आदि) प्राधिकारी जारी करने के कार्यालय से सत्यापित किये जायेंगे । यदि प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के बाद के किसी भी चरण में संतोषजनक / वास्तविक नहीं पाए जाते हैं तो अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

xiii. उम्मीदवारों के साथ सभी पत्राचार स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर (जैसा आवश्यक हो) के माध्यम से किया जाएगा और सभी सामान्य जानकारी एनसीएल वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ***हालांकि, एडमिट कार्ड केवल एनसीएल वेबसाइट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा।*** आवेदन पत्र, एडमिट कार्ड और अन्य जानकारी प्राप्त करने, डाउनलोड करने और प्रिंट करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों की स्वयं की होगी। एनसीएल अभ्यर्थी द्वारा प्रदान किए गए अमान्य / गलत / अपूर्ण संपर्क विवरणों के कारण या देरी / सूचना प्राप्त न होने के कारण, दस्तावेज़ के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

xiv. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि मे नेटवर्क(ऑनलाइन माध्यम) की क्षमता सीमित होने से ऑनलाइन आवेदन मे आने वाली परेशानी से बचने के लिए इस रोजगार अधिसूचना में उल्लिखित ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अभ्यर्थियों को आवेदन कर देने की सलाह दी जाती है।

xv. एनसीएल उन अभ्यर्थियों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, जो एनसीएल के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से निर्धारित तिथियों के भीतर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं कर पा रहे हैं।

xvi. केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत किसी भी अभ्यर्थी के पिछले रोजगार के सेवा बांड / वेतन / अवकाश वेतन / पेंशन अंशदान, आदि के किसी भी दायित्व को एनसीएल वहन नहीं करेगा ।

xvii. सरकारी विभाग / अर्ध सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (विभागीय अभ्यार्थ्यों सहित) / स्वायत्त निकायों में नियोजित उम्मीदवारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल दस्तावेजों की जांच / सत्यापन के समय अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

xviii. चयनित अभ्यर्थियों को एनसीएल के किसी भी डिस्पेंसरी / अस्पताल में पदस्थापित किया जा सकता है और आवश्यकता होने पर उनकी सेवा के दौरान किसी भी समय कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों मे स्थानांतरित किया जा सकता है ।

xix. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कोल इंडिया लिमिटेड की चिकित्सा जाँच (एनसीएल वेबसाइट पर उपलब्ध) से संबंधित एवं निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी की चिकित्सा जाँच में चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त पाए जाने के अधीन होगी।

xx. अभ्यर्थी का चयन प्रावधिक होगा एवं पात्रता मानदंड, चरित्र, पूर्ववृत्त और अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गये विभिन्न दस्तावेजों की सत्यापन के अधीन एवं एनसीएल के नियमों के तहत, नियुक्ति के लिए लागू, अन्य प्रावधानों के अधीन होगा ।

xxi. लिखित परीक्षा और अन्य विवरण की तारीख बाद में सूचित की जाएगी। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए एनसीएल द्वारा उन्हें आवंटित केंद्र /स्थल पर उपस्थित होना होगा। केंद्र / परीक्षा स्थल में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है और इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

xxii. लिखित परीक्षा के लिए बुलाये गये एससी / एसटी अभ्यर्थियों को नियमानुसार II क्लास नॉन-एसी किराया तक का भुगतान किया जाएगा। हालाँकि, उन्हें इस अधिसूचना (अंत में) के साथ विधिवत भरे उपयुक्त टीए क्लेम प्रारूप में अपने दावों को प्रस्तुत करना होगा, साथ ही सभी वांछित संलग्नक जैसे जाति प्रमाण पत्र, परीक्षा स्थल तक आने की यात्रा मे प्रयुक्त टिकिट की फोटोकॉपी (अनिवार्य) और रेलवे टिकट / बस रसीद की वापसी यात्रा (वैकल्पिक), केवल लिखित परीक्षा का प्रयास करने के बाद कक्षा के पर्यवेक्षक को जमा करना होगा । बाद के दावों के साथ-साथ अधूरी जानकारी वाले दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र की दूरी की गणना अभ्यर्थी के स्थायी पते या वास्तविक यात्रा के स्थान से, जो भी कम हो, की जायेगी । यदि, अभ्यर्थी ने केवल आने की यात्रा का टिकट जमा किया है और वापसी यात्रा के टिकट जमा नहीं किए हैं तो दावों को आने की यात्रा के किराया का दो गुना तक माना जायेगा और इसका भुगतान नियम के अनुसार किया जायेगा ।

xxiii. प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों की जांच / सत्यापन या इस विज्ञापन में निर्दिष्ट के अलावा, कोई टीए / डीए, भुगतान नहीं किया जायेगा ।

xxiv. *अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिए स्वयं के जोखिम पर उपस्थित देगा और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड किसी भी छति या नुक्सान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।*

xxv. एनसीएल प्रबंधन भर्ती प्रक्रिया को संशोधित / प्रतिबंधित / बढ़ाने / रद्द करने का एवं बिना कारण बताए अपने विवेक पर, रिक्तियों की संख्या को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । एनसीएल प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी ।

xxvi. **इस भर्ती से संबंधित सभी भावी संचार / सूचना एनसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को आगे के अपडेट के लिए नियमित रूप से एनसीएल वेबसाइट (**www.nclcil.in) **पर जाने / चेक करने की सलाह दी जाती है ।**

xxvii. ओएमआर शीट / अंकों के पुनर्मूल्यांकन / पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

xxviii. किसी भी विवाद के लिए न्यायालय का क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र होगा ।

xxix. किसी भी अस्पष्टता / भ्रम की स्थिति में, रोजगार अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण को वैध माना जायेगा ।

11. **आवेदन कैसे करें:**

i. अभ्यर्थियों को एनसीएल की आधिकारिक वेबसाइट **www.nclcil.in.>** कैरियर> भर्ती> पैरामेडिकल स्टाफ के विभिन्न पदों की सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना> लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

ii. रोजगार अधिसूचना अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

iii. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पात्रता का आकलन करने के लिए पूर्ण रोजगार अधिसूचना के प्रावधानों को ध्यान से देखें।

iv. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पूर्व सैनिक / विभागीय अभ्यर्थियों और पीडब्लूडी श्रेणियों के अलावा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को केवल 'एसबी कलेक्ट' की ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से केवल - रु० 500 / - (पांच सौ रुपये) की गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

v. यदि किसी अभ्यर्थी ने विज्ञापन को ठीक से पढ़ा है, तो उन्हें पात्रता के अनुसार पद के लिए अपना आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करना होगा।

चरण 1: पंजीकरण

चरण 2: शुल्क भुगतान

चरण 3: आवेदन करें

चरण 4: जमा करें

चरण 1: पंजीकरण

(क) . कृपया पंजीकरण के लिए एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें। पंजीकरण के दौरान प्रदान की गई ईमेल आईडी और पासवर्ड आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा।

(ख) . पंजीकरण के दौरान प्रदान किया गया नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बाद में परिवर्तित / सही नहीं किया जा सकता है और आवेदन पत्र पर दिखाई देगा। कृपया अपने मैट्रिक प्रमाणपत्र के अनुसार सही नाम भरना सुनिश्चित करें।

(ग) . पासवर्ड नीति: पासवर्ड में कम से कम एक वर्णमाला, एक संख्यात्मक वर्ण और निम्न वर्णों में से एक के साथ न्यूनतम छह वर्ण होने चाहिए !@ # $ % ^ * _ : } { ; = ( ) + | ?

(घ) . पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले, कृपया नियम एवं शर्तें पढ़ें और स्वीकार करें।

(ङ) . पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को पांच अंकों की एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी। आवेदन करने के लिए बाकी चरण को पूरा करने के लिए पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होगी।

चरण 2: शुल्क भुगतान

(क) . कृपया सुनिश्चित करें कि पॉप-अप ब्राउज़र सेटिंग्स में अवरुद्ध नहीं हैं; अगर यह अवरुद्ध है तो कृपया इस साइट के लिए पॉप अप की अनुमति सुनिश्चित करें।

(ख) . अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पूर्व सैनिक / विभागीय और पीडब्लूबीडी उम्मीदवार सीधे आवेदन फार्म भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

(ग) . अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे विज्ञापन में उल्लिखित अपेक्षित योग्यता रखते हैं।

(घ) . अभ्यर्थियों को लिंक "**शुल्क भुगतान**" पर क्लिक करना आवश्यक है **जो सीधे एसबी कलेक्ट विंडो खोलेगा (एसबी कलेक्ट की स्क्रीन पर चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करें)।**

(ङ) . अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे एसबी कलेक्ट के माध्यम से भुगतान करने के लिए निर्देशों को पढ़ें और नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करें।

(च) . प्रत्येक अभ्यर्थी को भुगतान करने से पहले नाम, पिता का नाम, पंजीकरण संख्या, जाति श्रेणी और योग्यता आदि जैसी प्रविष्टियाँ करना आवश्यक है।

(छ) . अभ्यथियों को एसबी कलेक्ट के निर्देशों का पालन करना होगा और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, आवेदन शुल्क का भुगतान पावती रसीद या "एसबी कलेक्ट संदर्भ संख्या" को नोट कर लेना होगा , जिसकी आवश्यकता आवेदन करते समय तीसरे चरण में आवश्यक होगा।

चरण 3: आवेदन करें

(क) .पंजीकरण और शुल्क भुगतान के पहले दो चरणों को पूरा करने के बाद, अभ्यर्थियों को आवेदन लिंक का उपयोग करते हुए पद विशेष के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा, जो एक रिक्त आवेदन फॉर्म खोलेगा; उम्मीदवारों को आवश्यक के रूप में सभी प्रासंगिक प्रविष्टियों को पूरा करना होगा। नाम (मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार), पिता का नाम, माता का नाम, पता (वर्तमान और स्थायी), जन्म तिथि, लिंग आदि के साथ आवेदन भरना शुरू करें। ड्रॉप बॉक्स से न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता का चयन करें और अनुपालन के लिए चुनें "हां" 'या "नहीं', और अंत में अभ्यर्थियों को दिए गए विनिर्देश के अनुसार स्वप्रमाणित स्कैन की गई तस्वीर अपलोड करनी होगी।

(ख) .ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं। **(i)** आवेदन शुल्क का भुगतान रसीद या "एसबी कलेक्ट संदर्भ संख्या" और चालान के माध्यम से उत्पन्न विशिष्ट पंजीकरण संख्या। **(ii)** हाल का रंगीन पासपोर्ट आकार का स्व-साक्षांकित फोटोग्राफ **(iii)** सभी शैक्षणिक अंकपत्र और अंकों का प्रतिशत **(iv)** कृपया उस प्रासंगिक योग्यता पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं।

चरण 4: जमा करें

अपूर्ण या अधूरे भरे हुए ऑन-लाइन आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।

सभी आवश्यक फ़ील्ड भरने के बाद, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा प्रस्तुत डेटा सही है और उसके बाद स्वघोषित बॉक्स पर चेक करने के बाद ही अभ्यर्थी फॉर्म जमा कर सकता है क्योंकि फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन मे किसी भी तथ्य मे किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है।

अभ्यर्थियों' को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में संदर्भ के लिए ऑनलाइन भरे गए आवेदन का प्रिंट आउट अपने पास रखें।

12. विशेष लेख:

अभ्यर्थी को न तो ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी पोस्ट / डिस्पैच करने की आवश्यकता है और न ही प्रासंगिक प्रमाणपत्रों की प्रतियां। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में उनकी स्वघोषणा के एकमात्र आधार पर लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। स्वघोषणा संबंधित रोजगार अधिसूचना को गंभीरता से पढ़ने एवं सभी प्रावधानों, नियमों और शर्तों को पूरी तरह से समझते हुए अपनी स्वयं की आवेदित पद हेतु पात्रता के धारण करने के संबंध मे एवं किसी भी सक्षम न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होने एवं अभ्यर्थी को इस तथ्य के बारे संज्ञान होने कि उसका रोजगार उसके बारे में उसके दावे की जांच, उसकी पात्रता और ऊपर लिखित रूप में सामान्य लिखित परीक्षा में उसका प्रदर्शन के अधीन है, के लिए होगा / नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा किसी अभ्यर्थी को एड्मिट कार्ड उसकी आवेदित पद हेतु पात्रता की पुष्टि के रूप में जारी नहीं किया जाएगा। इसी तरह लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा । नियुक्ति के लिए मेरिट सूची उन सभी अभ्यर्थियों के संबंध में, जो न्यूनतम योग्यता अंक स्कोर करते हैं, अधिसूचना में निर्धारित सभी पात्रता मानदंड को पूरा करने के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

13. महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करने की प्रारंभिक तिथि	**15.02.2020 (00:01 AM)**
ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि (यह महत्वपूर्ण तिथि है/**Crucial date -** जो कि विभिन्न पदों के लिए इस अधिसूचना में तालिका "क" में निर्धारित विभिन्न अर्हयताए एवं पात्रताए निर्धारित करने की तारीख)	**10.03.2020 (11:45 PM)**
योग्य अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अनुमानित तिथि	**15.03.2020**
लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि	**29.03.2020**
परिणामों की घोषणा की अनुमानित तिथि	आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा

**** किसी भी स्पष्टीकरण हेतु अँग्रेजी मे दिये गए रोजगार सूचना को ही निर्णायक एवं अधिकृत माना जाएगा ।***

संपर्क सूत्र :

कार्यालय समय- सुबह **09:00** से शाम **5:00** बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)

दोपहर के भोजन का समय (दोपहर **01:00** से दोपहर **02:00** बजे) को छोड़कर

09:00 **AM** से 01:00 **PM (**शनिवार)

कार्यालय रविवार को बंद रहेगा

लैंडलाइन फोन नंबर: 07805-256573 / आप हमें **rectt.ncl@coalindia.in** पर भी लिख सकते हैं

खंडन

एनसीएल (नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) में पूर्णकालिक रोजगार हासिल करने के झूठे वादे करके या अनुचित या अनैतिक साधनों के उपयोग नौकरी दिलाने के दावे करने वाले जॉब रैकेटर्स से सावधान रहें। एनसीएल ने अपनी ओर से कार्रवाई के लिए कोई एजेंट या कोचिंग नहीं नियुक्त किया है। व्यक्तियों / एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है। अभ्यर्थियों का चयन विशुद्ध रूप से एनसीएल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के परिणामस्वरूप सृजित मेरिट के अनुसार किया जाता है। बेईमान तत्वों से सावधान रहें और उनके जाल में न पड़ें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एनसीएल को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जायेगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है

PRESCRIBED PROFORMAE

Performa-I

The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*..... son/daughter* of ..... of village/town* ..... in District/Division* ..... of the State/Union Territory* ..... belongs to the..... caste/tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under:—

@ The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
@ The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
@ The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951
@ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976., the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

@ The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956
@ The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976
@ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
@ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
@ The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
@ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
@ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
@ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
@ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
@ The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
@ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
@ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989
@ The Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990
@ The Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991
@ The Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991
@ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002
@ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002
@ The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002
@ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002

% 2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati*..... Father/Mother of Shri/Shrimati/Kumari ..... of village/town* ..... in District/Division*..... of the State/Union Territory*..... who belongs to the caste/tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of ..... issued by the ..... dated .....

% 3. Shri/Shrimati/Kumari*..... and/or* his/her* family ordinarily resides in village/town*..... of..... District/Division* of the State/Union Territory* of.....

Signature.....
**Designation.....

(With Seal of Office)
State/Union Territory*

Place: .....
Date: .....

*Please delete the words which are not applicable.
@Please quote specific Presidential Order.
% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term "ordinarily reside (s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/† Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.
†(not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.
(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer(Lakshadweep)

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____son/daughter of _____ of village/town _____ in District/Division _____ in the State/Union Territory _____ belongs to the _____ community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. _____ dated _____*. Shri/Smt./Kumari _____ and /or his/her family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of the _____ State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8.9.1993, OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 9th March, 2004, O.M. No. 36033/3/2004- Estt. (Res) dated 14th October, 2008 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27th May, 2013**.

Signature_____
Designation_____$

Dated:

Seal

---

*- The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

**- As amended from time to time.

$ - List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

Note:- The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

Form of declaration to be submitted by the OBC candidate (In addition to the community certificate)

I ……. Son/ daughter of Shri ……. resident of village/ town/ city …… district ……. State…… hereby

declare that I belong to the ……. community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No 36102/ 22/ 93 – Estd. (SCT) dated 8-9-1993. It is also declared that I do not belong to persons/ sections/ sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 8-9-1993, O.M. No. 36033/ 3/ 2004 –Estt. (Res.) dated 9th March, 2004 and O.M. No. 36033/ 3/ 2004 –Estt. (Res.) dated 14th October, 2008**.**

Signature:……..

Full Name:……

Address:……

Form-V

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female - _____ registration No. _____permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness
  (Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her

_____ (part of body) as per guidelines (……number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Form - VI

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____son/wife/daughter of Shri _____Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (……number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			

3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows : -

In figures : - ---------- percent

In words :- ---------- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after ..... years ..... months, and therefore this certificate shall be valid till ----- ----- ------

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Form – VII

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

(See rule 18(1))

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate No. Date:

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt/Kum_____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY)_____ _____ ____ Age _____ years, male/female _____ Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____ disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and			

	Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) ____ ____ ____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)
(Name and Seal)

Countersigned
{Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/Medical Superintendent/
Head of Government Hospital, in case the
Certificate is issued by a medical authority who is
not a Government servant (with seal)}

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Note.- In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District

Government of.....

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No..... Date:.....

VALID FOR THE YEAR .....

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ..... son/daughter/wife of ..... permanent resident of, ... Village/Street, ... Post Office, ...District..... in the State/Union Territory..... Pin Code.....whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year ..... His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

I. 5 acres of agricultural land and above; II.
Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari ..... belongs to the ..... caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Office.....
Name.....
Designation.....

Recent passport size attested photograph of the applicant

***Note 1:** Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

****Note 2:** The term '**Family**" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

*****Note 3:** The property held by a "Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

****

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE EX- SERVICEMEN

I……, bearing Roll No……,

Appearing for the Document Verification of the ……

Examination, 20……., do hereby undertake that:

(a) I am entitled to the benefits admissible to Ex- Servicemen in terms of the Ex- Servicemen Re-employment in Central Civil Services and Post Rules, 1979, as amended from time to time.

(b) I have not joined the Government Job on civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/ Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) in Group 'C' & 'D' posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for re-employment; or

(c) I have availed the benefit of reservation as ex-servicemen for securing Government job on civil side. I have joined as …….. on ……in the office of……I hereby undertake that I have submitted the self-declaration/ undertaking to my current employer about date wise detail of the application for the above mentioned examination for which I had applied for before joining the present civil employment; or

(d) I have availed the benefit of reservation as ex-servicemen for securing Government job on civil side. I have joined as……..on ……..in the office of……..Therefore, I am eligible for age-relaxation only;

I hereby declare that the above statements are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled / terminated.

Signature:…….

Name: …….

Roll No:……

Date :……

Date of appointment in Armed Forces:……..

Date of Discharge:…….

Last Unit/ Corps:……

Mobile No:…….

Email ID:…….